

HRA Sazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i) PART II — Section 3 — Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 215] No. 215] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 27, 2010/वैशाख 7, 1932 NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 27, 2010/VAISAKHA 7, 1932

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2010

सा.का.नि. 351(अ).—खाद्य अपिमश्रण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए, खाद्य अपिमश्रण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, कितपय नियमों का प्रारूप, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 44(अ), तारीख 22 जनवरी, 2009 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i), तारीख 22 जनवरी, 2009 में पृष्ठ 1-2 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवा दी गईं थीं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को तारीख 2 फरवरी, 2009 को उपलब्ध करवा दी गईं थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों पर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जन साधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, खाद्य मानकों की केन्द्रीय सिमिति के साथ परामर्श करने के पश्चात् खाद्य अपिमश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

 (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपिमश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 है ।

- (ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 22 की सारणी में,—
 - (क) क्रम सं. 2 के सामने, स्तंभ (2) के अधीन, "250 मिली" अंकों और शब्दों के स्थान पर "500 मिली" अंक और शब्द रखे जाएंगे;
 - (ख) क्रम सं. 4 के सामने, स्तंभ (2) के अधीन, "300 ग्राम" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "500 ग्राम" अंक और शब्द रखे जाएंगे;
 - (ग) क्रम सं. 13 के सामने, स्तंभ (2) के अधीन, "250 ग्राम" अंकों और शब्दों के स्थान पर "400 ग्राम" अंक और शब्द रखे जाएंगे;
 - (घ) क्रम सं. 14 के सामने, स्तंभ (2) के अधीन, "600 मिली" अंकों और शब्दों के स्थान पर "3 लीटर" अंक और शब्द रखे जाएंगे:
 - (ङ) क्रम सं. 18 के सामने, स्तंभ (2) के अधीन, "200 ग्राम" अंकों और शब्दों के स्थान पर "500 ग्राम" अंक और शब्द रखे जाएंगे;
 - (च) क्रम सं. 19 के सामने, स्तंभ (2) के अधीन, "250 ग्राम" अंकों और शब्दों के स्थान पर "500 ग्राम" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

- (छ) क्रम सं. 20 के सामने, स्तंभ (2) के अधीन, "150 ग्राम" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "250 ग्राम" अंक और शब्द रखे जाएंगे;
- (ज) क्रम सं. 27 के सामने, स्तंभ (2) के अधीन, "400 मिली" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 लीटर" अंक और शब्द रखे जाएंगे;
- (झ) क्रम सं. 32 के सामने, स्तंभ (2) के अधीन, "200 ग्राम" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "500 ग्राम" अंक और शब्द रखे जाएंगे;
- (ञ) क्रम सं. 38 के सामने, स्तंभ (2) के अधीन, "500 ग्राम" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 कि.ग्रा." अंक और शब्द रखे जाएंगे;
- (ट) क्रम सं. 48 के सामने, स्तंभ (2) के अधीन, "1 ग्राम" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "2 ग्राम" अंक और शब्द रखे जाएंगे;
- (ठ) क्रम सं. 50 के सामने, स्तंभ (2) के अधीन, "300 ग्राम" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "500 ग्राम" अंक और शब्द रखे जाएंगे;
- (ड) क्रम सं. 52 के सामने, स्तंभ (2) के अधीन, "300 ग्राम" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "500 ग्राम" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[सं. पी-15014/1/2008-पी. एच. (खाद्य)/डीएफक्यूसी] विनीत चौधरी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: खाद्य अपिमश्रण निवारण नियम, 1955 भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचना सं. का.नि.आ. 2106, तारीख 12 सितम्बर, 1955 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सं. सा.का.नि. 63(अ), तारीख 8 फरवरी, 2010 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2010

G.S.R. 351(E).—Whereas a draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published, as required by sub-section (1) of Section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), at pages 1-2 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), dated the 22nd January, 2009 in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health), Number G. S. R. 44(E), dated the 22nd January, 2009, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the

expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 2nd February, 2009;

And whereas objections and suggestions received from the public within the specified period on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Section 23 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Central Committee for Food Standards, hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely:—

- 1. (i) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (2nd Amendment) Rules, 2010.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, in rule 22, in the Table,—
 - (a) against serial number 2, under column (2), for the figures and words "250 ml.", the figures and words, "500 ml." shall be substituted;
 - (b) against serial number 4, under column (2), for the figures and words "300 gms.", the figures and words, "500 gms." shall be substituted;
 - (c) against serial number 13, under column (2), for the figures and words "250 gms.", the figures and words, "400 gms." shall be substituted;
 - (d) against serial number 14, under column (2), for the figures and words "600 ml.", the figures and words, "3 litre" shall be substituted;
 - (e) against serial number 18, under column (2), for the figures and words "200 gms.", the figures and words, "500 gms." shall be substituted;
 - (f) against serial number 19, under column (2), for the figures and words "250 gms.", the figures and words, "500 gms." shall be substituted;
 - (g) against serial number 20, under column (2), for the figures and words "150 gms.", the figures and words, "250 gms." shall be substituted;
 - (h) against serial number 27, under column (2), for the figures and words "400 ml.", the figures and words, "1 litre" shall be substituted;
 - (i) against serial number 32, under column (2), for the figures and words "200 gms.", the figures and words, "500 gms." shall be substituted;

- (j) against serial number 38, under column (2), for the figures and words "500 gms.", the figures and words, "1 kg." shall be substituted;
- (k) against serial number 48, under column (2), for the figures and words "1 gm.", the figures and words, "2 gms." shall be substituted;
- (l) against serial number 50, under column (2), for the figures and words "300 gms.", the figures and words, "500 gms." shall be substituted;
- (m) against serial number 52, under column (2), for

the figures and words "300 gms.", the figures and words, "500 gms." shall be substituted.

[No. P. 15014/1/2008-P.H. (Food)/DFQC]

VINEET CHAWDHRY, Jt. Secy.

Note:—The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of Gazette of India *vide* Notification No. S.R.O. 2106, dated the 12th September, 1955 and were last amended *vide* Notification No. G.S.R. 63(E), dated the 8th February, 2010.